रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 1 फरवरी, 2000/12 माघ, 1921

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 जनवरी, 2000

संख्या गृह (ए) ए (9)-21/99.—यह अभिकथित है कि 15 नवम्बर, 1994 को बरमाणा, जिला बिलासपुर में भूतपूर्व सैनिक ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्यों पर लाठी-चार्ज की घटना हुई;

और इस घटना ने कानून और व्यवस्था की बाबत गम्भीर जन सम्बद्धता उत्पन्न की है, जिस कारण मामले में, जो लोक महत्व का है, न्यायिक जांच की जानी अपेक्षित हो गई है ;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए, यह समीचीन होगा कि उपर्युक्त घटना की, जो सार्वजनिक महत्व का विषय (मामला) है, जांच करने के लिए जांच आयोग नियुक्त किया जाए ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वी० के० शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नियम), हिमाचल प्रदेश उच्च

न्यायालय को, उपर्युक्त घटना से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों पर जांच करने और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, जांच आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं :--

1. 15-11-1994 को भूतपूर्व सैनिक ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्यों पर हुए लाठी-चार्ज की घटना के लिए उत्तरदायी तथ्यों एवं परिस्थितियों का संक्षेप में निर्धारण ।

2. क्या इस घटना को टाला जा सकता था ? यदि हां, तो वे कौन से तत्व थे जिनके कारण लाठी-चार्ज हुआ ।

3. क्या पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज किया जाना पूर्णतया औचित्य पूर्ण था ।

4. क्या किया गया बल प्रयोग जो स्थिति को देखते हुए आवश्यक था, असंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं था ।

5. क्या यह घटना किसी कर्मचारी (कर्मचारियों) की भूल लापरवाही अथवा कर्त्तव्य-अवहेलना के कारण हुई ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारी (कर्मचारियों) की पहचान करना ।

6. क्या जिला प्रशासन स्थिति से निपटने और लाठी-चार्ज की घटना को रोकने में असफल रहा ।

7. सिफारिश, यदि कोई हो ।

अत. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि इस सम्बन्ध में की जाने वाली जांच की प्रकृति तथा मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उप-धारा (2), (3), (4) और (5) के उपबन्धों को आयोग के लिए लागू किया जाए और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह यह निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2), (3), (4) और (5) मे अन्तर्विष्ट उपबन्ध आयोग को लागू होंगे ।

जांच आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा और आयोग ऐसे स्थानों पर भी जा सकेगा जो जांच को अग्रसर करन के लिए आवश्यक हो ।

आदेश द्वारा,

ए० के० गोस्वामी,
मुख्य सचिव।

[*Authoritative English text of this department Notification No. Home (A)-A* (9)-21/99, *dated* 6-1-2000 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitutsion of India*].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th January, 2000

No. Home (A)-A (9) 21 99.—WHEREAS, it is alleged that an incident of Lathi Charge occured at Barmana, District Bilaspur on 15-11-1994 on the members of Ex-Servicemen Transport Union of Barmana, District Bilaspur ;

AND WHEREAS, the incident had caused serious puplic concern over the maintenance of law and order requiring judicial enquiry into the matter which is of public importance ;

AND NOW WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that it would be more expedient and id the public interest to appoint a Commission of Enquiry to enquire into the aforesaid incident which is the matter of public importance.

NOW, THEREFORE, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952, is pleased to appoint Shri V. K. Sharma, District and Session Judge (Rules) High Court of Himachal Pradesh, as the Commission of Inquiry and to enquire into and report on the following matters in relation to the aforesaid incident within a period of 6 months from the date of publication of this notification :—

(1) Determination of the precise facts and circumstances which led to the incident of lathi charge dated 15-11-1994 on the members of Ex-servicemen Transport Union.

(2) Whether the incident was avoidable and if so, the factors which had culminated into the occurance of lathi charge.

(3) Whether the police have indulged in the occurance of lathi charge with proper justification.

(4) Whether the force use was disproportionate and not justifiable in the situation warranting the use of force.

(5) Whether the incident was a result of any lapse, negligence or dereliction of duty on the part of some official(s). If so, the identification of such official(s).

(6) Whether the District Administration had failed in handling the situation or preventing the incident of lathi charge.

(7) Recommendation, if any.

Further, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that having regard to the nature of the inquiry to be conducted and other circumstances of the case, the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 5 of the Commission of Inquiry Act, 1952, should be made applicable to the Commission and in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 5 of the aforesaid Act is pleased to direct that the provision contained in sub-sections (2), (3), (4) and 5 of section 5 shall apply to the Commission.

The Commission shall have its headquarters at Shimla and may also visit such places as may be necessary in the furtherance of the Inquiry.

By order,

A. K. GOSWAMI,
Chief Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला- 5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित